(vii) Signals and the programme materials of the event to be generated by co-production shall be limited to six months from the date of commencement of the event and ownership of the same shall remain vested with PILCOM.

(viii) The decision of the sole Arbitrator will be final and binding to all the parties.

Stability in Foreign Exchange Market

8. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government propose to take steps to bring about stability in the foreign exchange market;

(b) if so, the details of the measures Government propose to take in this regard;

(c) the factors responsible for steep instability in foreign exchange market; and

(d) to what extent the measures would be effective?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) to (d) The excessive volatility in the exchange rate of rupee observed in recent periods was caused by speculative factors. The Reserve Bank of India (RBI) intervened in both spot and forward segments of the foreign exchange market to squelch speculative elements. In addition, effective from February 8, 1996, the scheme of Post-Shipment Export Credit denominated in US dollars has been terminated as this scheme was an anomaly under the present structure and created serious market distortions; the interest rate on Post-Shipment Export Credit in rupees over 90 days has been freed with a view to encourage faster realisation of export proceeds; and with a view to discourage the excessive use of bank credit for import finance, the interest rate surcharge on import finance has been raised to 25 per cent. Since the announcement of these measures, there has been stability in the foreign exchange market.

Exchange rate developments are monitored continuously both by the Government and the RBI and additional measures will be taken, as and when necessary, to counter excessive volatility in the exchange rate and to maintain orderly market conditions.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां

9. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी 1996 के "स्टेट्समैन" (दैनिक) में प्रकाशित "बैंक बैड डैट स्केल न्यू हाइट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी भी 20 प्रतिशत तक अनुपयोज्य आस्तियां हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां, उनके कुल अग्रिमों के 20% थीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़े का निर्यात

10. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्रतिवर्ष औसतन कितना-कितना तथा किस-किस प्रकार का कपड़ा निर्यात करती है और 1993-94, 1994-95 के वर्षों के दौरान और 1995-96

में अब तक कितना-कितना कपड़ा किस-किस प्रकार का और किन-किन देशों को निर्यात किया गया है और उससे अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) अगले 10 वर्षों में कपड़े के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु कौन-कौन से कदम उठाये हैं;

(ग) कपड़े/कपास/सूती धागे के निर्यात से देश के घरेलू बाजार में कपड़े की कीमतों पर क्या सम्भाव्य प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार ने कपास उत्पादकों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन्हें कब से कार्यान्वित किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 दिसम्बर, 95 तक) के दौरान भारत से कपड़े फाईबर-वार) के निर्यातों से अर्जित विदेशी आय निम्न प्रकार है:—

मिलियन अमरीकी डालर

	1993-94	1994-95	1995-96
		(दिसम्बर,	95 तक)
सूती कपड़ा	760.80	1020.95	818.19
सिंथेटिक कपड़ा	372.68	475.23	380.54
ऊनी कपड़ा	14.34	17.21	26.42

भारत से कपड़े का निर्यात कई देशों को किया जाता है। हमारे कपड़े के प्रमुख आयातक ई०यू० राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, दुबई, बंगलादेश, सिंगापुर तथा साउदी अरब हैं।

(ख) निर्यात लक्ष्य वर्ष दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अगले दस वर्षों के लिए कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। सरकार ने हमारे वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण आदि के लिए अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

(ग) देश में मांग आपूर्ति की स्थिति तथा कपास उपजकर्ताओं सहित सूती वस्त्र उद्योग तथा साथ ही निर्यातकों के विभिन्न क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार सीमित मात्रा में कपास तथा सूती यार्न के निर्यात की अनुमति देती है।

(घ) कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1995-96 के खरीफ मौसम के लिए अपरिष्कृत कपास की दो किस्मों अर्थात एफ-414/एच-777 तथा एच-4 के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा पहले ही कर दी है। अपरिष्कृत कपास की अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थक कीमतें सामान्य कीमत विभेदों के आधार पर घोषित की गई है। भारतीय कपास निगम (सी सी आई) बाजार कीमतों के न्यूनतम समर्थन कीमतों से कम होने की दशा में कीमत समर्थन अभियान शुरू करता है तथा सी सी आई महाराष्ट्र के अतिरिक्त सभी राज्यों के किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी उंची कीमत पर कपास की खरीद करता है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

11. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दामोदर घाटी निगम के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रतिवर्ष कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और सरकार को कितना शुल्क प्राप्त होता है;

(ग) क्या सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) संशोधित अनुमान, 1995-96 के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का कुल योजना परिव्यय 329 करोड़ रुपये है।

(ख) विद्युत उत्पादन को मिलियन यूनिटों में आंका जाता है, जबकि मेगावाट, किसी विशेष दिन/समय पर